

— / / 01 / / —

आपराधिक प्र.क.: 1159 / 2014

**न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)**  
**(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)**

आपराधिक प्र.क.: 1159 / 2014

संस्थित दि: 01 / 12 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

**विरुद्ध**

लिखीराम पिता रामप्रसाद मेरावी, उम्र 22 साल, जाति गोंड,  
निवासी ग्राम साखा थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — आरोपी

**— :: उर्पापण — आदेश :: —**

**(आज दिनांक 29 / 12 / 2014 को उपार्पित किया गया)**

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया कुमारी विनीता मरकाम ने दिनांक 04.11.2014 को आरक्षी केन्द्र बिरसा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम साखा में रहती है, वह दो बहनें हैं बड़ी वह है, उसकी उम्र 15 वर्ष है तथा उसकी छोटी बहन की उम्र 10 वर्ष की है। उसके माता पिता रायपुर (छत्तीसगढ़) कमाने चले जाते हैं और दो-तीन माह में एक बार घर आते हैं। उसके रिपोर्ट लिखाने के छः-सात माह पहले चैत के महिने में टिकराटोला का लिखीराम मेरावी उसके घर आया और उसे बोला वह उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है, कहकर बहला फुसलाकर बोला कि बुरा काम करने दे तो उसने बोला कि वह नाबालिक लड़की है। उसके मना करने पर नहीं माना और उसके साथ बुरा काम कर लिया, उसके बाद लिखीराम उसे घर में अकेला देखकर कई बार कहीं घर में व कहीं खेत में बुरा (बलात्कार) काम किया तथा किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। फरियादिया की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 145 / 14 अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता

की धारा 376-2 (झ)(ढ), 506 एवं 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376-2 (झ)(ढ), 506 एवं 3, 4, 7, 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया।

(04) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376-2 (झ)(ढ), 506 एवं 3, 4, 7, 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

(05) आरोपी को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गईं।

(06) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे।

(07) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध होने से उसका कमीटल वारंट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 09.01.2015 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर को निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

आदेश मेरे उद्बोधन पर  
टंकित किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट